मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 23, अक्टूबर, 2019

क्रमांक एफ 16-18/2018/बी-ग्यारह:: राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014 में निम्नानुसार संशोधन/नवीन प्रावधन शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया है कि:-

1. वृहद श्रेणी की इकाईयों को नीति के प्रभावशील अवधि के दौरान पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण हेतु किये गये व्यय की 100 प्रतिशत अधिकतम रूपये 5.00 लाख की प्रतिपूर्ति। यह प्रतिपूर्ति मात्र उन पेटेंट/आईपीआर पर लागू होगी, जिन्हें प्रदेश में दर्ज किया गया हो।
2. उद्योग संवर्धन नीति, 2014 की कण्डिका क्रमांक 10.3 अनुसार यंत्र एवं संयंत्र की परिभाषा:-

   "वित्तीय सहायता/प्रोत्साहनों की पात्रता के प्रयोजन हेतु यंत्र एवं संयंत्र का अर्थ है संयंत्र और मशीनरी, भवन और शेड, तथा एनएबीएल (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) से अधिमान्यता प्राप्त गुणवत्ता प्रमाणीकरण तथा जॉच प्रयोगशालाओं में किया गया निवेश किन्तु इसमें भूमि और रिहायसी इकाईयों (Dwelling Units) में किया गया निवेश सम्मिलित नही होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिमान्यता प्राप्त गुणवत्ता प्रमाणीकरण एवं जॉच प्रयोगशालाओं में किये गये वास्तविक निवेश का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये 50.00 लाख जो भी कम हो, को वित्तीय सहायता/प्रोत्साहनों की पात्रता के प्रयोजन हेतु यंत्र एवं संयंत्र अंतर्गत परिभाषित किया जावे।"
3. उद्योग संवर्धन नीति, 2014 की कण्डिका क्रमांक 8 में संशोधन करते हुये विनिर्माण इकाईयों को अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपकरण तथा जल संरक्षण उपायों की स्थापना पर किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 25.00 लाख की सहायता के स्थान पर 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 1.00 करोड की सहायता दी जावे।
4. उद्योग संवर्धन नीति, 2014 की कण्डिका क्रमांक 10.11.5 में संशोधन करते हुये एपरेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिये 25 प्रतिशत अधिकतम रूपये 50.00 लाख की सहायता दी जावे।
5. फार्मास्यूटिकल विनिर्माण इकाईयों को नीति अंतर्गत सुविधाओं का लाभ लेने हेतु उत्पादन दिनांक से दो वर्ष तक स्लेक पीरियड की सुविधा प्रदान करना- फार्मास्यूटिकल विनिर्माण इकाईयों को नियामक अनुमतियों प्राप्त करने में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुये ऐसी इकाईयों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रथम 02 वर्ष को स्लेक पीरियड के रूप में मान्य किया जावे, इस प्रावधान में सहायता की अवधि यथावत 07 वर्ष शर्तो के अध्याधीन ही रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

23/X/19

(डॉ. राजेश राजौरा)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर .....

पृ.क्रमांक एफ 16-18/2018/बी-ग्यारह भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपि :-

1/ प्रमुख सचिव(समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

2/ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

3/ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल।

4/ उप नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग